(463)

(2)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक : 02.04.2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   नगर निगम, (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012–13" आयोजित करने बाबत् दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के दौरान शिविर की अवधि दिनांक 21 नवम्बर, 2012 से 25 दिसम्बर 2012, तक रखी गयी थी तथा अभियान का Follow-up कार्य प्रत्येक नगर निकाय के कार्यालय में दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 के पश्चात् भी दिनांक 31 मार्च, 2013 तक रखे जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त परिपत्र दिनांक 17.10.2012 के द्वारा और इसके अनुक्रम में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विविध आदेशों के तहत अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताऐं/छूटें दी गयी है तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.12.2012 और उसके क्रम में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 15.02.2013 के द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर अभियान के दौरान दिनांक 31.03.2013 तक दी गयी सभी शिथिलताऐं आदि लागू की गयी थी।

अब राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012–13 की follow-up अवधि अब तक लागू सभी शिथिलताओं, छूटों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of powers etc.) के साथ दिनांक 31.03.2013 से बढ़ाकर दिनांक 30.06.2013 निर्धारित की गयी है। उक्त शिथिलताऐं आदि दिनांक 30.06.2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लागू मानी जायेगी।

संबंधित जिला कलक्टर अपनी सुविधानुसार समय–समय पर अभियान की समीक्षा भी करेंगें।

अतः तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(397)